तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/4/18	करीकन उप०/P.O. [illegible] 14/5/18 [illegible]
14/5/18	फतवली कैम कोर्ट / लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी कारण एवं उपस्थित, मूल हक वादी के ग० पक्ष खारिज हो गया है। अतः डा० पक्ष IRTA खारिज किया जाता है। फतवली को सिल मुआवा होकर सिक्का से फर्क हो। सुनाया। SDOC